बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / NBPDCL–10 / 2019– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के राजापट्टी कोठी (जगदीशपुर) में एक अदद् 33 / 11 के0वी0, 2X05 MVA क्षमता के विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के स्थान पर 33 / 11 के0वी0, 2X10 MVA क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत 11.1798 करोड़ (ग्यारह करोड़ सत्रह लाख अंठानवे हजार) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 9.60 लाख (नौ लाख साठ हजार) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–2204 दिनांक–19.08.2019 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के ग्राम–राजापट्टी में एक अदद 2X5 एम०भी०ए० का विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण हेतु 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 7.55 करोड़ (सात करोड़ पचपन लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. कार्य आवंटन के पश्चात भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इस विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण नहीं हो सका साथ ही उक्त आवंटित राशि दिनांक–31.03.2024 को वित्त विभाग द्वारा Lapsed/ Withdrawal कर लिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन राजापट्टी कोठी (जगदीशपुर) में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण विद्युत भार मे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2017 में कुल 27,032 उपभोक्ता थे जो वर्तमान में 40,927 हो गयी है। राजापट्टी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण से वर्तमान बैकुण्ठपुर विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के विद्युत भार को स्थानांतरित किया जायेगा, साथ ही 11 के0वी0 जगदीशपुर एवं आजबीनगर फिडर के भार एवं दूरी को भी कम किया जा सकेगा।

4. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के राजापट्टी कोठी (जगदीशपुर) में एक अदद् 33 / 11 के0वी0, 2X05 MVA क्षमता के विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के स्थान पर 33 / 11 के0वी0, 2X10 MVA क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु योजना तैयार की गई है, जिसपर होनेवाले व्यय का पुनरीक्षित अनुमानित लागत 11.1798 करोड़ (ग्यारह करोड़ सत्रह लाख अंठानवे हजार) रुपये आकलित की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूरी राशि की मांग नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा की गयी है, जिसमें से CFMS में उपलब्ध आवंटन के आधार पर 9.60 लाख रूपये उपलब्ध कराया जाना है।

5. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के राजापट्टी कोठी (जगदीशपुर) में एक अदद् 33/11 के0वी0, 2X05 MVA क्षमता के विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के स्थान पर 33/11 के0वी0, 2X10 MVA क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत 11.1798 करोड़ (ग्यारह करोड़ सत्रह लाख अंठानवे हजार) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 9.60 लाख (नौ लाख साठ हजार) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900107 विषय शीर्ष 54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA018) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

8. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA018 से की जाएगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

11. उक्त योजना की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/NBPDCL–10/2019 के पृष्ठ संख्या–62/टि0 पर दिनांक–15.06.2026 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/NBPDCL–10/2019 के पृष्ठ संख्या–66/टि0 पर दिनांक–19.06.2025 को प्राप्त है।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/

(सुधा गुप्ता),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र० / NBPDCL–10 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र० / NBPDCL–10 / 2019– 3576 / पटना, दिनांक– 30.06.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.06.26

सरकार के संयुक्त सचिव।